



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4182/2006

याचिकाकर्ता : वाज़िद अली

विरुद्ध

उत्तरवादी : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एंड अन्य

निर्णय एवं आदेश के उद्घोषणा हेतु प्रकरण दिनांक 11.09.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4182/2006

याचिकाकर्ता:

वाजिद अली, पिता अब्दुल रज्जाक, आयु 59 वर्ष 6 माह, निवासी 15 ब्लॉक कॉलोनी, एस.ई.सी.एल. कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एस.ई.सी.एल., कोरबा निदेशक एस.ई.सी.एल. कोरबा मुख्यालय सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
2. उप महाप्रबंधक, मानिकपुर कोलियरी, कोरबा क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा।
3. आयु निर्धारण समिति, एस.ई.सी.एल. कोरबा, द्वारा अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, एस.ई.सी.एल., कोरबा।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका)

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री अरुण कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के लिए श्री विवेक वर्मा, अधिवक्ता।

निर्णय

(आज दिनांक 11.09.2008 को पारित किया गया)



1. याचिकाकर्ता ने, इस याचिका के द्वारा, आयु निर्धारण समिति (जिसे आगे 'समिति' कहा गया है) अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04-06.05.2006 (अनुलग्नक पी/1) को रद्द करने की मांग की है, और आगे इस निर्देश की ईप्सा की है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 01.01.2008 से पूर्व सेवानिवृत्त न किया जाए और समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाएं।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि, याचिकाकर्ता को राजगामार कोलियरी में दिनांक 06.08.1968 को लोडर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दिनांक 01.07.1942 दर्ज की गई थी। तदनुसार, आदेश दिनांक 03.02.2002 द्वारा याचिकाकर्ता को अर्जित अवकाश खाते, सी.एम.पी.एफ., भुगतान हेतु उपादान का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2002 से सेवानिवृत्त होने वाला था।
3. आदेश दिनांक 03.02.2002 (अनुलग्नक पी/2) से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपनी जन्म तिथि दिनांक 01.07.1942 से बदलकर दिनांक 02.01.1947 करने हेतु एक रिट याचिका, रिट याचिका क्रमांक 1266/2002 प्रस्तुत की। पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, इस न्यायालय ने नेशनल कोल वेजेस एग्रीमेंट के तहत गठित समिति को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा अपनी जन्म





तिथि के संबंध में उठाए गए विवाद का परीक्षण चार सप्ताह की अवधि के भीतर करे, दिनांक 06.02.2006 (अनुलग्नक पी/3) ।

4. समिति ने, सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, दिनांक 04-06.05.2006 को आदेश पारित किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि सेवा अभिलेखों के प्रपत्र-बी में दिखाई गई जन्म तिथि न्यायसंगत एवं उचित है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतएव, यह याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार अग्रवाल ने तर्क दिया कि उत्तरवादी ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 29.12.1990 को प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय अमों, जनपद फतेहपुर के हस्ताक्षर के तहत जारी निर्गम प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी/4) की उपेक्षा की है, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दिनांक 02.01.1947 दर्ज थी। द्वितीयतः, कोल माइन्स अथॉरिटी लिमिटेड द्वारा जारी पहचान पत्र भी याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दिनांक 02.01.1947 दर्शाता है (अनुलग्नक पी/5)। समिति द्वारा आयु का निर्धारण न्यायसंगत एवं उचित नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक वर्मा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कथित निर्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है,



समिति के समक्ष भी; जो वर्ष 1990 में अर्थात् उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व जारी किया गया था। द्वितीयतः याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। वह समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 16.03.2006 को उपस्थित रहा था। श्री वर्मा आगे तर्क दिया कि पहचान पत्र कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व निजी कोलियरी द्वारा जारी किया गया था अतः उसका कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता। यह आगे तर्क दिया गया कि प्रपत्र-बी रजिस्टर स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दिनांक 01.07.1942 (अनुलग्नक आर/4) के रूप में इंगित करता है जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान नियोजक अर्थात् उत्तरवादीगण के साथ नियुक्ति के समय दिनांक 25.05.1980 को हस्ताक्षर किए गए थे।

7. श्री वर्मा ने आगे यह तर्क दिया कि अपनी सेवा के अंतिम चरण में, याचिकाकर्ता को जन्म तिथि का विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जबकि याचिकाकर्ता के पास वर्ष 1990 से कथित निर्गम प्रमाण पत्र और अन्य विवरण उपलब्ध थे। वह जी.एम. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड विरुद्ध शिव कुमार दुषाद एवं अन्य¹ और कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध अर्धेन्दु विकास भट्टाचार्य एवं अन्य² के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेते हैं।

1 2000 (8) SCC 696

2 2005 (12) SCC 201



8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, अभिवचनों और उससे संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को निजी कोलियरी अर्थात् राजगामार कोलियरी में दिनांक 06.08.1968 को नियुक्त किया गया था और उसने कथित तौर पर पहचान पत्र (अनुलग्नक पी/5) प्राप्त किया था। तत्पश्चात्, कोयला क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के बाद, याचिकाकर्ता को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में दिनांक 25.05.1980 को नियुक्त किया गया था।
9. यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रपत्र-बी रजिस्टर में, नियुक्ति के समय, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दिनांक 01.07.1942 दिखाई गई थी जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया था।
10. याचिकाकर्ता कथित तौर पर प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय अमों, जनपद फतेहपुर द्वारा दिनांक 29.12.1990 को जारी एक निर्गम प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी/4) का अवलंब लेता है, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि दिनांक 02.01.1947 दिखाई गई है। याचिकाकर्ता ने पूर्व निजी नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र (अनुलग्नक पी/5) का और अवलंब लिया है। वे संदिग्ध दस्तावेज हैं क्योंकि उन्हें या तो कोलफील्ड में नियुक्ति के समय दिनांक 25.05.1980 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति के समय तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।
11. याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति का आदेश दिनांक 03.02.2002 को पारित होने से पूर्व कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत था





कि प्रपत्र-बी रजिस्टर, जो सेवा अभिलेख का मुख्य भाग है, उसकी जन्म तिथि दिनांक 01.07.1942 इंगित करता है। याचिकाकर्ता लगभग 22 वर्षों तक विवाद पर सोया रहा। अतएव, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि शासकीय अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों में सुधार, जिसके आधार पर कर्मचारी को सेवा प्राप्त हुई, उसे सेवानिवृत्ति से कुछ वर्ष पूर्व या उसकी सेवानिवृत्ति के अंतिम चरण में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

12. जी.एम. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने "कार्यान्वयन संख्या 76" के प्रावधानों के तहत आयु निर्धारण समिति द्वारा एक कर्मचारी की आयु के निर्धारण के संबंध में, जो वर्तमान प्रकरण में भी शामिल है, निम्नानुसार निर्धारित किया:

"15. इस मामले में एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय की विधिमान्यता और स्थिरता के प्रश्न में प्रवेश करने से पहले हम यह निर्धारित करना चाहेंगे कि ऐसे मामले में जहाँ एक कर्मचारी की जन्म तिथि पर विवाद सेवा में आने के काफी समय बाद उठाया गया है और मामले ने संबंधित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया है और नियोक्ता द्वारा जारी सेवा नियमों या सामान्य निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके निर्धारित किया गया है और यह कर्मचारी का मामला नहीं है कि अभिलेख के प्रत्यक्ष आधार पर कोई अंकगणितीय गलती या टंकण त्रुटि हुई है, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में नियोक्ता के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"



13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य एवं अन्य विरुद्ध एस.सी. चड्ढा³ के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"8. सामान्यतः, सार्वजनिक सेवा में, सेवा में प्रवेश के साथ ही, बाहर निकलने की तिथि भी, जिसे अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तिथि कहा जाता है, निश्चित हो जाती है। इसीलिए जन्म तिथि संबंधित व्यक्ति से संबद्ध सुसंगत रजिस्टर या सेवा-पुस्तिका में दर्ज की जाती है। यह सभी सेवाओं में प्रचलित प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक सेवा ने सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित की है, और सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि बनाए रखना आवश्यक है।" (2004) 3 एस.सी.सी. 394

14. उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध शिव नारायण उपाध्याय⁴ के प्रकरण में,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था :

"6. सामान्यतः, लोक सेवा में, सेवा में प्रवेश के साथ ही, बाहर निकलने की तिथि भी, जिसे अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तिथि कहा जाता है, निश्चित हो जाती है। इसीलिए जन्म तिथि संबंधित व्यक्ति से संबद्ध प्रासंगिक रजिस्टर या सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाती है। यह सभी सेवाओं में प्रचलित प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक सेवा ने सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित की है, और सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि बनाए रखना आवश्यक है। परंतु, हाल के दिनों में एक प्रवृत्ति देखी जा सकती है कि कई लोक सेवक, अपनी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर अपनी गहरी निद्रा से जागते हुए या तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का सहारा लेकर या संबंधित प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष आवेदन दायर करके, या जन्म तिथि दर्ज होने की सटीकता के संबंध में न्यायनिर्णयन के लिए वाद दायर करके अपने सेवा अभिलेखों के बारे में विवाद उठाते हैं।

7. अधिकांश राज्यों ने वैधानिक नियम बनाए हैं या उनके अभाव में प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं कि सेवा अभिलेख में अपनी जन्म

3 (2004) 3 SCC 394

4 (2005) 6 SCC 49



तिथि के सुधार के संबंध में एक लोक सेवक द्वारा किए गए दावे को कैसे निराकृत किया जाए और किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे कई नियमों में एक अवधि विहित की गई है जिसके भीतर यदि कोई लोक सेवक अपनी जन्म तिथि दर्ज करने में त्रुटि के संबंध में कोई शिकायत करता है, तो उस उद्देश्य के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है। ऐसे नियमों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जन्म तिथि के सुधार के संबंध में ऐसा कोई भी दावा दशकों के बाद, विशेष रूप से ऐसे लोक सेवक की अधिवार्षिकी की समाप्ति पर नहीं किया जाना चाहिए या उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए..."

15. **उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य विरुद्ध राज कुमार अग्निहोत्री⁵** के

प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने निम्नानुसार

निर्धारित किया था:

16.इस प्रकार उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से यह देखा गया है कि इस न्यायालय ने लगातार यह विचार अपनाया है कि शासकीय अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों में सुधार, जिसके आधार पर शासकीय सेवक को सेवा प्राप्त हुई, उसे सेवानिवृत्ति से कुछ वर्ष पूर्व या उसकी सेवानिवृत्ति के अंतिम चरण में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

16. **कोल इंडिया लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के**

न्यायाधिपतियों ने निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"8.यह सुस्थापित है कि एक कर्मचारी को उसके सेवा कार्यकाल के अंतिम चरण में जन्म तिथि बदलने के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान मामले में हम नहीं जानते कि 38 वर्षों के बाद बांग्लादेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस आधार पर मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में सुधार किया। यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है, और किसी भी मामले में उच्च न्यायालय को वास्तविक जन्म तिथि



निर्धारित करने के लिए अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।"

17. जन्म तिथि में परिवर्तन के संबंध में उपरोक्त सुस्थापित विधिक सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति की तिथि तक विवाद नहीं उठाया था, सेवा अभिलेख के प्रपत्र-बी में दर्ज जन्म तिथि निष्कर्षकारी और अंतिम है।
18. उपरोक्त वर्णित कारणों से, रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।



सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।